



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
पत्रांक - 2354 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 21 /05 /2022,।

email: cfbhagl-forest-uk@nlc.in
फोन/फैक्स-0138-2431160,

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 128.00 कि०मी० त्रयिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉज गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०मी० विद्युत लाईन का गूल्लर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.00 है० वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या। (FP/UK/TRANS/154613/2022).

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक-3654 /12-1, दि०-04.05.2022,।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है :-

- 1- प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का अंग्रेजी/वैज्ञानिक/स्थानीय नाम अंकित करते हुये प्रारूप Additional Column में अपलोड किया जाय।
- 2- प्रश्नगत परियोजना के स्थलीय निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण आपके द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कब कब किया गया निरीक्षण तिथि से अवगत करायें।
- 3- डिजिटल मैप में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- 4- प्रारूप-12, 31, 37, 44, 46, 49, 53 व प्रारूप 55 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- 5- प्रपत्र 23 प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- 6- कम्प्युनेट वाईज एरिया के०एम०एल० फाईल में सही अंकित करे।
- 7- आपके द्वारा ग्राम पंचायत चमेली, तिमली एवं बावणी में जो बैठक की गई है उनमें प्रत्येक ग्रामसभा में 3-4 ग्रामवासीयों उपस्थिति बहुत कम है। जबकि अन्य ग्रामवासीयों की उपस्थिति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करे एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव 04 हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक :- मूल में।

भवदीय

(डॉ० धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक